न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
265/2019 (RCMS 2019/00087)	19.07.2019	03.09.2019

अनवान

पुनिता शर्मा पत्नि प्रशान्त शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् दिलाये जाने मार्ग सुखाधिकार एवं राजस्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में रास्ता का इन्द्राज करने अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़ की खतौनी संख्या 208 जमाबंदी संवत् 2069–2072 में आराजी संख्या 1541/70 रकबा 0.2161 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2161 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खातेदार व कब्जे काश्त में दर्ज रेकार्ड उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो आम रास्ते से होकर आराजी संख्या 73 की दक्षिणी पश्चिमी मेर पर होकर पहुॅचता हैं व इसी कदीमी रास्ते से प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर कदीम से आता जाता हैं। जो प्रार्थी का एक मात्र कदीमी रास्ता हैं व उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने का और कोई रास्ता अवस्थित नहीं है। जिससे प्रार्थी कदीम से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी संख्या 73 की दक्षिणी पश्चिमी मेर पर होकर आता जाता है। व उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त रास्ता विपक्षी के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षी उक्त रास्ते में आये दिन रोक टोक करते रहते हैं ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में 4 बाई 30 मीटर चौडा व लम्बाई का रास्ता कदीमी से रास्ते के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी रास्ता घोषित करा उक्त रास्ते की भूमि विपक्षी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से उक्त रास्ते की जो भी डीएलसी रेट से राशि बनती है व राशि प्रार्थी विपक्षी को अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। उक्त रास्ते को बंद नहीं करने के लिए प्रार्थी ने दिनांक 17.07.2019 को विपक्षी को कहा किन्तु विपक्षी द्वारा रास्ता से आवागमन नहीं करने की धमकी देने एवं रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं होने से रास्ता अवरूद्ध करने से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु सुखाधिकार उपयोग उपभोग हेतु विपक्षी को बिना किसी नुकसान पहुॅचाये करते आ रहे है। लेकिन विपक्षी उक्त रास्ता बंद करने एवं नहीं खोलने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न होकर रास्ता खुलवाये जाने एवं विपक्षी की राजस्व रेकार्ड में मार्क ए टू बी वाले भू–भाग आराजी संख्या 73 में से अंकित किया जावें या रूकावट व अवैध दखलंदाजी एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे एवं नहीं किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को पाबंद फरमाया जावें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 73 रकबा 1.65 हैक्टर भूमि में अंकित दक्षिणी पश्चिमी मेर पर मार्क ए टू बी 4 बाई 30 मीटर चौडा प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु किस्म रास्ता जमाबंदी में दर्ज किये जाने एवं तद्नुरूप नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं विपक्षी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह रास्ता में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने के प्रावधान है। अतः अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाकर तहसीलदार चित्तौडगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं आदेशित किया जाता है कि मौजा पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया के विचाराधीन प्रकरण जिसमें प्रार्थी की आराजीयात आराजी संख्या 1541/70 है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थी आने–जाने हेतु राजकीय भूमि आराजी संख्या मौजा पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया की आराजी संख्या 73 मै से रास्ता चाहते है। अतः मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की गई कि 1. ''क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है'', अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी), 2. ''यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहा गया मार्ग निकटतम हैं एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करावें।'' 3. ''यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है'' तो मौका कमिश्नर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई ग चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर प्रतिकर राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)'' इस पर दिनांक 02.09.2019 को अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार हाजिर आये। इस पर मौका कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019 /1365 दिनांक 30.08.2019 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की आराजीयात में जाने के लिए आराजी संख्या 73 में से रास्ता चाहा गया है जो कि बिलानाम आरक्षित भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा आराजी संख्या 73 में से 24 मीटर लंबाई व 5 मीटर चौडाई (24 X 5) कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर = 0.0120 हैक्टर रास्ता चाहा गया है। डीएलसी दर अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल जमा योग्य राशि 30,218/– रूपये है।

इसके साथ ही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा 30,218/– रूपये जमा करवाये जाते है एवं नियमानुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व(ग्रुप–6) विभाग क्रमांक/प.13(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार अगर उक्त प्रस्तावित रास्ते को सार्वजनिक रास्ता किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि बिलानाम रखते हुए प्रस्तावित रास्ते का बिलानाम रास्ता/सार्वजनिक रास्ता किया जाना उचित है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ में मौका रिपोर्ट में अंकित विशेष कथन द्वारा जवाब प्रार्थना के रूप में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद में आता है।

रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात पर पहुॅचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार इस अनुसार 0.012 हैक्टर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 30,218/– रूपये नियमानुसार देय बनते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया की आराजी संख्या 73 रकबा 1.65 हैक्टर मै से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 0.012 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 30218/– रूपये वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जावें। इस हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 30218/– रूपये वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर मौजा पुरोहितों का सांवता पटवार हल्का तुम्बडिया आराजी संख्या 73 रकबा 1.65 हैक्टर मैसे मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 0.012 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.012 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शें में आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक **03.09.2019** को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official